CN - 177197/15

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, बेगूसराय।

पत्रांक 52 लो0 दिनांक 28.6.15

प्रेषक,

रामचन्द्र पासवान,
लोकपाल मनरेगा,
बेगूसराय।

सेवा में,

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- लोकपाल द्वारा सम्पादित माह–मई 2015 का मासिक प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक लोकपाल द्वारा सम्पादित माह मई–2015 का मासिक कार्य प्रतिवेदन भवदीय सेवार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

लोकपाल मनरेगा,
बेगूसराय।

सचिव कोषांग
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना
07 JUL 2015

कार्यालय लोकपाल मनरेगा, बेगूसराय

लोकपाल द्वारा सम्पादित कार्यों का मासिक प्रतिवेदन, माह–मई, 2015

क्र0	लोकपाल का नाम	पूर्व से लंबित शिकायत वाद	माह में प्राप्त शिकायत पत्र	कुल परिवाद	निष्पादित	आदेश का सारांश व अनुशंसा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामचन्द्र पासवान	5 0	1 1 विविध	6 1	3 1	1. **विविध** :–आवेदिका श्रीमती रूकमीनी देवी एवं अतुल देवी, ग्राम–छौड़ाही, प्रखंड–छौड़ाही, जिला–बेगूसराय। **निदेश** :–प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ाही को समाधान हेतु निदेशित किया गया। 2. **परिवाद संख्या–02 / मन0 / 15–16** • **परिवादी** :– श्रीमती रूकमीनी देवी, पति–सुखदेव शर्मा, ग्राम–छौड़ाही जिला–बेगूसराय। • **उत्तरदायी पक्ष** :– मुखिया / पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत साउत, प्रखंड–छौड़ाही, जिला–बेगूसराय, राज्य–बिहार। • **आरोप** :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में काम आवंटन हेतु अनुरोध • **आदेश** :– ग्राम पंचायत प्राधिकार को नियमानुकूल कार्य आवंटन करने का निदेश। 3. **परिवाद संख्या :– 19 / मन0 / 2014–15** • **परिवादी** :– रूकमीनी देवी, पति–सुखदेव शर्मा, ग्राम–पोस्ट–छौड़ाही, वार्ड संख्या 11, ग्राम पंचायत साउत, प्रखंड छौड़ाही, जिला–बेगूसराय। • **उत्तरदायी पक्ष** :– मुखिया / पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत–साउत, प्रखंड–छौड़ाही, जिला–बेगूसराय, राज्य–बिहार। • **आरोप** :– कार्य आवंटित करने हेतु एवं बेरोजगारी भत्ते की माँग। • **निष्कर्ष** : लिखित अनुरोध के बाद भी कार्य आवंटित नहीं किया गया। • **आदेश / की जाने वाली कार्रवाई** : (1) मनरेगा की धारा 7(2) के प्रावधान के अनुसार आवेदिका बेकारी भत्ता पाने का हकदार है। उसे भुगतान किया जाय। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायें। (2) भुगतान की गई राशि चुँकि ग्राम पंचायत प्राधिकार (विशेष कर रोजगार सेवक) की शिथिलता या मनमानी से दय है, उससे वसूलनीय है। इसकी स्पष्ट प्रक्रिया मनरेगा के तहत चतुर्थ दिशा निदेश के अनुच्छेद 8.8 में उल्लेखित है। (3) लिखित आदेश के बाद भी वांछित कागजात नहीं देने और निष्पादन में सहयोग नहीं करने के लिये पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत साउत प्रखंड छौड़ाही के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। यह कार्रवाई कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ाही / जिला मनरेगा प्राधिकार के द्वारा की जानी चाहिये।	

(4) कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ाही के कार्य शिथिलता के लिय उनके विरूद्ध कार्रवाई जिला मनरेगा प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है।

- **आदेश** :- की जाने वाली कार्रवाई संबंधित प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित हो/कार्यक्रम पदाधिकारी संसूचन करें।

4. परिवाद संख्या–20/म०/2014–15

- **परिवादी** :– अभय कुमार झा, ग्राम+पत्रालय--रूदौली, प्रखंड--बछवाड़ा, जिला--बेगूसराय, राज्य--बिहार।
- **उत्तरदायी पक्ष** :– मुखिया/पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज--रूदौली, प्रखंड--बछवाड़ा, जिला--बेगूसराय, राज्य–बिहार।
- **परिवाद की प्रकृति** :– योजना संख्या–03/2013–14 से 12/2013–14 में कार्य संपादन नहीं करना एवं राशि गबन करना।
- **सुसंगत प्रावधान** :– मनरेगा की धारा 3(1), 23(1) एव 23(2)

योजना की प्राक्कलित राशि रूपये 2,05,370/–मात्र (दो लाख पाँच हजार तीन सौ सत्तर रूपये) है। योजना अभिलेख के अनुसार योजना पर निम्न प्रकार राशि व्यय किया गया है :–

1 **बोर्ड हेतु** :– 1800.00
चेक संख्या :– 773790, दिनांक–06.02.2014
2. **पारिश्रमिक हेतु** :–
चेक संख्या :– 888102 1944.00
दिनांक :– 22.02.2014
3. **चापाकल हेतु** :– 888111
दिनांक :– 24.09.2014 4600.00
कुल रूपये :– **9802.00**

जबकि दिनांक–21.05.2015 को पंचायत रूदौली के एम०आई०एस० में पारिश्रमिक पर वास्तविक व्यय रूपये 13608.00 एवं सामग्री मद में रूपये 4600/– दिखाया गया है। इस तरह व्यय से अधिक राशि प्रतिवेदित किया गया है जो पंचायत रोजगार सेवक के कर्त्तव्य के प्रति निष्क्रियता और कार्य उपेक्षा का द्योतक माना जायेगा।

योजना की शत–प्रतिशत कार्यान्वयन से मनरेगा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, लेकिन योजना अधूरी रहने से जॉबकार्डधारीयों को आंशिक रोजगार ही मिला तथा अब तक परिसंपत्ति का सृजन तो हुआ ही नहीं इस तरह ग्राम पंचायत प्राधिकार द्वारा मनरेगा की धारा 3(1) में व्यक्त उद्देश्य रोजगार सृजन को असफल करना माना जायेगा। जब तक वृक्षारोपण पूर्ण नहीं होता है तब तक चापाकल आदि पर व्यय उद्देश्य हीन माना जायेगा।

लेखा का गलत संधारण और प्रेषण मनरेगा की धारा 23(2) के द्वारा प्रदत्त कर्त्तव्य की उपेक्षा है।

जहाँ तक इस अधूरे कार्य और उद्देश्य की विफलता के

पर्यवेक्षण समीक्षा और बेहतर कार्य संस्कृति के लिये मार्गदर्शन का दायित्व जो उन्हें एक्ट ने सौंपा है, कोई बेहतर निर्वहन नहीं किया है।

जहाँ तक अन्य एजेन्सी भूमिका का प्रश्न है साप्ताहिक जाँच का कार्यक्रम पूर्व में नियमित होता रहा है और सामाजिक अंकेक्षण भी होते रहे है फिर भी यह कार्य अभी तक अधूरे है। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। इसलिये योजनावार समीक्षा की पहल की जानी चाहिये।

- **लेखा संधारण में त्रुटि** :– तथ्यों के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि योजना अभिलेख में दर्ज व्यय राशि से अधिक राशि सरकार को प्रतिवेदित किया गया है। मजदूरी मद में मात्र 3402 (तीन हजार चार सौ दो) रूपये अभिलेख में अंकित किये गए है जबकि एम0आई0एस0 के द्वारा मजदूरी मद में तेरह हजार छः सौ आठ रूपये प्रतिवेदित किये गए है। यह स्थिति पंचायत के लेखा संधारण को संदिग्ध होने का संकेत देता है। इस पंचायत में लेखा की जाँच कराने की आवश्यकता है।
- **कार्य संस्कृति में कमी** :– उपर्युक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि इस पंचायत में कार्य संस्कृति दोषपूर्ण है जिसका विकास पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- **सुधार हेतु सुझाव** :– (i) पंचायत के प्रतिवेदन में यह (प्रश्नाधीन) योजना चालू दिखाया जा रहा है। इसलिये पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर वृक्ष लगाने का कार्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एक माह में कराया जाय। यदि प्राक्कलन तत्समय जैसा कि प्राक्कलन के तकनीकि प्रतिवेदन में लिखा है जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त राशि व्यय होता है तो वह राशि कार्य शिथिलता के कारण कार्यान्वयन एजेंसी से वसूली किया जाना चाहिये।

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायें।

(ii) यदि समय सीमा के अन्दर कार्य संपादन नहीं कराया जाता है तब इस योजना पर किये गए व्यय राशि को निरूदेश्य मानते हुए कार्यान्वयन एजेंसी से वसूल कर ली जाय।

(iii) ग्राम पंचायत प्राधिकार / कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात पंचायत रोजगार सेवक कार्य शिथिलता / कार्य की उपेक्षा के लिये दोषी है इसके विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई हो।

इसे कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करायें।

(iv) प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, वछवाड़ा भी पर्यवेक्षण / नियंत्रण में कमी के लिये दोषी माने जायेंगे। सक्षम प्राधिकार के द्वारा सुधार व अन्य कार्रवाई हेतु पहल किया जा सकता है।

(v) लेखा संधारण में पाई त्रुटि में सुधार अपेक्षित है; प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बछवाड़ा इस पंचायत के तीन वित्तीय वर्ष के लेखा / अधूरी योजनाओं की जाँच कर विस्तृत और तथ्य परक प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को समर्पित करें तथा लेखा में व्यवहारीक सुधार एक माह में

लिये जिम्मेवारी का प्रश्न है वह व्यापक है। हर माह हर स्तर पर गहन समीक्षा की जाती है। लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत प्राधिकार, सामाजिक अंकेक्षक के रूप में ग्राम सभा और निरीक्षण पर्यवेक्षण और समीक्षा की मुख्य जिम्मेवारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की होती है। लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि किसी ने इन 10 योजनाओं के अनुश्रवण पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह ग्राम पंचायत प्राधिकार ने मनरेगा की धारा 16(1), 16(8) में प्रदत्त कर्त्तव्य का पालन करने में अब तक विफल रहा है, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने मनरेगा की धारा 15 (5) के द्वारा दिये गये कर्त्तव्य–ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का मानीटर अनुपालन नहीं किया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी जानकारी मिलती है कि कार्यान्वयन एजेन्सी अर्थात पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखने के अलावा पौधे की आपूर्ति हेतु कोई अन्य प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा प्रयास का जिक्र उपलब्ध कराये गए अभिलेख में नहीं किया गया है जबकि निविदा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पौधे की आपूर्त्ति हेतु प्रयास करना चाहिये था। इस तरह कार्यान्वयन एजेन्सी ने अपने कर्त्तव्य का पालन इस योजना में नहीं किया, ऐसा स्पष्ट परिलक्षित होता है।

ऊपर विश्लेषित तथ्यों के आलोक में मूल आरोप के अलावे एक्त के उद्देश्य के साथ कर्त्तव्य संबंधी उत्पन्न प्रश्न भी विचारणीय है :–

(1) **मूल प्रश्न** :– कार्य संपादन नहीं करना अर्थात रख–रखाव के अभाव में पौधे का अस्तित्व में नहीं होना तथा राशि का बंदरबाट करना।

(2) **अन्य** :– कार्यान्वयन एजेन्सी कार्यक्रम पदाधिकारी, (क) आदि एजेन्सीयों की भूमिका

(ख) लेखा संधारण में त्रुटि।

(ग) कार्य संस्कृति में कमी का विकास पर प्रभाव।

- जहाँ तक मूल आरोप का प्रश्न है, अब तक जो तथ्य प्रकाश में आए है, तदनुसार आंशिक कार्य किये गए और पौधे अभी तक लगाये ही नहीं गए। इस आलोक में सामान्य रूप से राशि बंदरबाट का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन वृक्षारोपण नहीं करने से प्रारंभिक बोर्ड, गडढे, चापाकल पर किये गए व्यय बिना उद्देश्य व्यय माना जायेगा।

एजेंसियों की भूमिका :– पूर्व के पृष्ठों में किये गए विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत प्राधिकार (मुखिया सहित) के साथ कार्यान्वयन एजेन्सी ने रोजगार सृजन, परिसंपत्ति का निर्माण और पर्यावरण की सुरक्षा के पालन में सही भूमिका नहीं निभायी है।

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जिन्होंने कार्य का निरीक्षण

						करायेंगे। (vi) जिला मनरेगा प्राधिकार से अनुरोध है कि की जाने वाली कार्रवाई को अपने स्तर से भी देखें। • **आदेश** :--(i) दिये गए सुझाव पर पहल निर्देशित समय सीमा के अन्दर की जाय। (ii) लोकपाल हेतु अनुदेश की कंडिका--14.2 के आलोक में ए0टी0आर0 लोकपाल को भी सुपुर्द की जाय। कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करें।	

28.6.15
(रामचन्द्र पासवान)
लोकपाल, मनरेगा
बेगूसराय।

पत्रांक 5 लोक. दिनांक 28.6.15

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
1	2	3

अधिनिर्णय (अवार्ड)

13.6.15 अभिलेख अधिनिर्णय हेतु उपस्थापित किया गया। परिवाद की सामान्य जानकारी निम्नरूपेण है:-

1. (i) परिवाद सं० - 21/मन/2014-15

(ii) परिवाद का स्रोत - दिनांक 12.12.14 दैनिक हिन्दुस्तान में छपे समाचार।

(iii) उत्तरदायी पक्ष - मुखिया/पी०आर०एस०, ग्राम पंचायत चिल्हाई प्रखंड तेघड़ा जिला - बेगुसराय राज्य बिहार।

(iv) आरोप की प्रकृति :- योजना सं० 04/2008-09 से योजना सं० - 07/2008-09 में अनियमितता एवं वृक्षारोपण नहीं करना।

(v) सुसंगत प्रावधान :- मनरेगा की धारा 23(1)/16(1)/अनुसूची I की कंडिका 14 एवं लोकपाल हेतु अनुदेश की कंडिका 9.1.19।

2. परिवाद का विवरण :- दिनांक 12 दिस० 2014 को दैनिक हिन्दुस्तान में समाचार प्रकाशित हुआ कि - "मनरेगा में कागज पर गिरना दिया लाखों का खर्च।"

D.S (MB)

Sec. 8

OSD (विधि) 1/7/15

सचिव कोषांग ग्रामीण विकास विभाग

समाचार के अनुसार ग्राम पंचायत चिटकाही में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत योजना सं०- 04/2008-09/ 05/2008-09/06/2008-09 एवं योजना सं०- 07/2008-09 में 3 लाख 98 हजार रुपये के व्यय पर 3096 पौधे लगाने की बात कही गई है, परन्तु स्थल पर एक भी पौधे नहीं है। यह आरोप योजना के उद्देश्य के विपरीत, नियम विरुद्ध एवं राशि दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया पाते हुए लोकपाल हेतु अनुदेश के नियम 9.1.19 के आलोक में पंजीकृत कर आगे तर कार्रवाई प्रारंभ की गई।

3. की गई कार्रवाई - सर्वप्रथम लोकपाल अनुदेश का नियम 12.1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत समस्या निराकरण एवं सात दिनों के अन्दर प्रतिवेदन हेतु कार्यालय ज्ञापांक 167 लोक दिनांक 13.12.14 के माध्यम से पी०ओ० तेघड़ा को निदेशित किया गया।

समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में लोकपाल हेतु अनुदेश की कंडिका (नियम) 12.2 में निहित प्रावधान के अनुसार

1	2	3
13.6.15	कार्यालय ज्ञापाँक 03/लोक, दिनाँक 03.01.15 के द्वारा ग्राम पंचायत प्राधिकार (मुखिया/पी० आर० एस०) ग्राम पंचायत राज - चिलहाई प्रखंड तेघड़ा जिला-बेगूसराय को प्रतिवेदन एवं सुसंगत अभिलेखों के लिये निदेश जारी किया गया। लेकिन किसी भी स्तर से प्रतिवेदन और अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत प्राधिकार को कार्यालय ज्ञापाँक 34जि०ग्रा०म०, दिनाँक 15.5.15 के द्वारा स्मारित किया। पी०ओ० तेघड़ा दिनाँक 28.4.15 एवं पी० आर० एस० कृष्ण कुमार 28.5.15 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन प्रतिवेदन नहीं मिला। पी० आर० एस० के द्वारा तीन अभिलेख दिखवाये गए, परन्तु साक्ष्य हेतु उसका कोई भी प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया। अंततः पी० ओ० तेघड़ा से प्रतिवेदन उनके पत्राँक 34 दिनाँक 2.6.15 जो 12.6.15 को मिला। इसलिये निष्पादन हेतु सीमाबद्ध होते हुए भी अवधि लेखन में देरी हुई है। 4.- विश्लेषण/निष्कर्ष - उपलब्ध कागजातों	

2	3

के आधार पर ~~अधि~~निर्णय अभिलेखित किया जा रहा है।

समाचार में कई गंभीर प्रश्नों को उठाया गया है कि विभाग ने पौधा खरीदने के लिये न तो पौधा खरीदने की कीमत निर्धारित की और नर्सरियों की ~~कीमत~~सूचि ही प्रकाशित किया। यह सुनियोजित ढंग है कि मनमाने कीमत पर खरीदकर सरकारी धन की लूट की जा सके। ~~से जनसाधारण और~~

इस संबंध में पी० ओ० तेघड़ा ने प्रतिवेदित किया है कि जाँच हेतु चिलहाई पंचायत को पंचायत रोजगार सेवक राकेश कुमार शर्मा से अभिलेख पर उन्हें बताया गया कि पूर्व पं० रोजगार सेवक के द्वारा अभिलेख प्रभार में नहीं दिया गया है, इसलिये योजनाओं की जाँच करना संभव नहीं है।

अधो हस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व पंचायत सेवक ~~रजा~~कुमार जो अभी मटिहानी में पदस्थापित है, ने तीन अभिलेख योजना सं० 04/2008-09 / 05/2008-09

एवं 06/2008-09 दिखाया। कुछ जानकारी मैंने नोट कर उन्हें निर्देशित किया अभिलेख का पूर्ण फोटो कापी उपलब्ध करायें जिससे अनुशीलन, विश्लेषण हो और स्वरूप के रूप में रखा जा सके। लेकिन फिर उपलब्ध नहीं कराया गया। योजना सं०-07/2008-09 दिखाया है नहीं। लंबे अवसर के बाद भी संगत अभिलेख/प्रतिवेदन नहीं देना जाँच कार्य को बाधित करना है तथा सक्षम प्राधिकार के आदेश की अवहेलना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 में उक्त पंचायत में सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत लाभार्थियों के निजी भूमि पर वृक्ष लगाने का काम हुआ। योजना संख्या 04/2008-09 के द्वारा कुल 778 पौधे होलवार लगाये गए जिस पर प्रति आम के पौधे 128=00 (एक सौ रूपये) की दर से कुल निनान्बे हजार पाँच सौ चौरासी (रूपये 99,584=00) व्यय हुए जो अनुज्ञा लाभान्वेषक को भुगतान किया गया है। कुल लाभार्थी का नाम की सूची संलग्न थी।

पृ०-12 पर जारी —

योजना सं० 05/2008-09 में 30 लाभार्थी की सूची संलग्न थी। उसी तरह योजना संख्या 06/2008 में 32 लाभार्थी सूची के साथ कुल 780 पौधों के लिए अंठानबे हजार दो सौ अस्सी (98,280) रुपये व्यय दिखाया गया है। वाहन के अभाव में स्थल निरीक्षण नहीं हुआ है।

इस तरह अभिलेख की कमी, संलग्न सुसंगत कागजात और स्थल निरीक्षण के अभाव और संबंधित कार्यान्वयन अधिकारी व कार्यान्वयन एजेंसी के असहयोग के कारण आरोप के संबंध में सुस्पष्ट निष्कर्ष तक पहुँचना संभव नहीं हो पाया। लेकिन समाचार स्रोत में विभागीय निदेश की अवहेलना कर अधिक राशि व्यय का आरोप लगाया गया है। यदि ऐसी बात होगी तो आपराधिक मामला बनेगा। विभागीय परिपत्र उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए समुचित कारवाई के पूर्व गहन जाँच की आवश्यकता है तथा मूल आरोप से इतर असहयोग, आदेश अवहेलना, आदि के लिए डीपीओ के विरुद्ध

पृ० 13 पर जारी

13.6.15 अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित है। प्रभार नहीं देने की प्रवृत्ति कार्य संस्कृति में गिरावट का द्योतक है। पी०ओ० के द्वारा पूर्व में दोषी के विरुद्ध समुचित कारवाई की जानी थी। क्योंकि संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं रहने से जाँच, अंकेक्षण में दिक्कत होगी तथा विधि कार्य के बाद भी संशय की स्थिति बनी रहती है।

5. की जाने वाली कार्रवाई:—

(i) पूर्व पृष्ठों के निष्कर्ष के आलोक में वरीय पुनः जाँच की आवश्यकता है ताकि समुचित कानूनी कार्रवाई की स्थितियों एवं साक्ष्य उपलब्ध रहे। यह जाँच किसी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता, मनरेगा द्वारा हो तो बेहतर है। सर्वप्रथम डी०डी०सी० सह अपर कार्यक्रम समन्वयक, बेगूसराय द्वारा समुचित व प्रारंभिक कार्रवाई हो। अथवा सक्षम पदाधिकार स्वयं निर्णय लेना चाहेंगे। कार्यवाही हेतु अनुदेश के नियम 13.7 के आलोक में आरोप स्थापन हेतु जाँच की अनुशंसा की जाती है

(ii) प्रभार आदान-प्रदान नहीं करेंगे, पृ०-14 पर

आदेश अवहेलना और जाँच कार्य में असहयोग के लिये दोषी पी०आर०एस० (पुवि) के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई हो। पी०ओ० तेघरा सक्षम प्राधिकार से मार्ग दर्शन ले कार्रवाई एक माह के अन्दर सुनिश्चित करायें।

(iii) सरकारी कागजातों का आदान प्रदान पी०ओ० सुनिश्चित करायें।

6. आदेश- उपर्युक्त पारित अवार्ड का अनुपालन हेतु समुचित कदम उठायी जाय और पी०ओ० तेघड़ा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

7. निर्देश- (i) समुचित कारवाई हेतु पारित अवार्ड की प्रति डी०पी०सी० सह जिला पदाधिकारी/अपर डी०पी०सी० सह डी०डी०सी०, बेगूसराय और निदेशानुसार सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

(ii) प्रतिलिपि पी०ओ० तेघरा/ग्राम पंचायत प्राधिकार को भी भेजें।

लेखित एवं संशोधित

13.6.15

लोकपाल (मनरेगा) बेगूसराय

13.6.15

(रामचन्द्र पासवान)

लोकपाल, मनरेगा, बेगूसराय।

कार्यालय, लोकपाल,(मनरेगा), बेगूसराय।

ज्ञापांक – 49/लोक० दिनांक – 20.06.2015

प्रति :—

1. ~~सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,~~ बिहार, पटना।

2. डी०पी०सी० सह जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / उप डी०पी०सी० सह उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को आवश्यक कार्यार्थ।

20.6.015
लोकपाल, मन० बेगूसराय

3. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तेघड़ा जिला- बेगूसराय को अनुपालनार्थ

4. मुखिया / पी० आर० एस० ग्रा०पं० चिल्हाय प्रखंड तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

20.6.015
लोकपाल, मनरेगा
बेगूसराय।